



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
LABOUR DEPARTMENT HARYANA
श्रम विभाग हरियाणा



Off.: 30 Bays Building, 1st Floor, Sector 17-B, Chandigarh-16001 (India) Tel: 91(0172)2701337 Fax: 91(0172)2701268
 ऑफिस: 30 बेय बिल्डिंग, प्रथम तल, सेक्टर 17-बी, चण्डीगढ़ - 160017 (भारत) दूरभाष: 91(0172)2701337 फैक्स: 91(0172)2701268

कार्यालय आदेश

श्रीमति उर्मिला चौधरी, अर्दली, कार्यालय अधिष्ठाता अधिकारी, श्रम न्यायालय, पानीपत को सरकार की हिदायतें क्रमांक 11/102/2009-3एफ0आर0 दिनांक 05.07.2012 एवं Haryana Civil Service (Leave) Rules, 2016 अनुसार दिनांक 20.02.2020 से 19.08.2020 तक कुल 182 दिन की चाईल्ड केयर लीव की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रमाणित किया जाता है कि अवकाश से लौटने पर कर्मचारिका उसी पद तथा स्थान पर कार्य करेगी जहां से वह चाईल्ड केयर लीव पर गई थी।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कर्मचारिका उसी पद तथा स्थान पर कार्य करती रहती यदि वह अवकाश पर न जाती।

दिनांक: 14.02.2020

पंकज अग्रवाल
 श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृ० क्रमांक: स्था०/०२/२०२०/५५५१-५५ दिनांक: 17-2-2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

- 1 अधिष्ठाता अधिकारी, श्रम न्यायालय, पानीपत।
- 2 श्रीमति उर्मिला चौधरी, अर्दली, का० श्रम न्यायालय, पानीपत।
- 3 कर्मचारिका की निजी फाईल।
- 4 कार्यालय आदेश फाईल।

P. D. D.
 अधीक्षक (स्था०)
 श्रम विभाग, हरियाणा।